अधिसूचना सं0 8/2014-सेवा कर नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014.

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 26/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 468 (अ), तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 7 के सामने, स्तंभ (4) में "नहीं लिया गया है" शब्दों के स्थान पर, "सेवा प्रदाता द्वारा नहीं लिया गया है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) क्रम संख्या 8 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग किए गए निवेश, पूंजी माल और निवेश सेवाओं पर केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय, केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन नहीं लिया गया है"

(iii) क्रम संख्या 9 में,--

(क) स्तंभ (2) में "यात्रियों को लाने ले जाने हेतु डिजाइन किए गए मोटर वाहनों" शब्दों के स्थान पर 1 अक्तूबर, 2014 से "मोटर कैब" शब्द रखा जाएगा

(ख) स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि 1 अक्तूबर, 2014 से रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(i) कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग किए गए निवेश, पूंजी माल और निवेश सेवाओं पर केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय, केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन नहीं लिया गया है;

(ii) मोटर कैब किराए पर देने की सेवा के लिए केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित रीति में लिया गया है:

(क) ऐसी निवेश सेवा के लिए पूर्ण केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया गया है जो मूल्य के 40% पर सेवा कर का संदाय कर रहा है; या

(ख) ऐसी निवेश सेवा के 40% तक केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया गया है जो पूर्ण मूल्य पर सेवा कर का संदाय कर रहा है ;

(iii) ऊपर (ii) में विनिर्दिष्ट से भिन्न निवेश सेवाओं पर केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय, केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन नहीं लिया गया है ।"

(iv) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"9क	किसी मोटर कैब से भिन्न संविदा वाहन द्वारा माल असबाव के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन ।	40	कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग किए गए निवेश, पूंजी माल और निवेश सेवाओं पर केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय, केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन नहीं लिया गया है ।";

(v) इस प्रकार अंत:स्थापित क्रम संख्या 9क में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर उस तारीख से, जिसको, केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66घ (ण) (vi) में "रेडियो टैक्सी" शब्दों के लोप को अधिसूचित करेगी, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"माल असबाव के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन,-

क. किसी मोटर कैब से भिन्न संविदा वाहन द्वारा ।

ख. किसी रेडियो टैक्सी द्वारा ।"

(vi) क्रम संख्या 10 में स्तंभ (3) में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "40" प्रविष्टि, 1 अक्तूबर, 2014 से रखी जाएगी, अर्थात् :-

(vii) क्रम सं. 11 के सामने स्तंभ (4) में "इनपुट" शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर "किसी टूर प्रचालक की निवेश सेवा से भिन्न निवेश सेवा" शब्द 1 अक्तूबर, 2014 से रखे जाएंगे ।

2. इस अधिसूचना में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये संशोधन 11 जुलाई, 2014 से प्रवृत्त होंगे ।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 26/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. 468 (अ), तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 9/2013-सेवा कर, तारीख 8 मई, 2013 द्वारा अधिसूचना सं सा.का.नि. 296(अ), तारीख 8 मई, 2013 द्वारा, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।